

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :-62/2026 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

रेशमी पत्नी पोखरराम जाति नायक निवासी माहेला तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-वादीया

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री अनिल सिहाग वकील-वादीया
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- १४/३/२०२६

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री अनिल सिहाग वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व पल्लू उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि रोही मौजा चैलासरी के ख.नं. 214 की 11.382 है. में से 1/9 हिस्सा में दर्ज वादीया का नाम रेशमा पुत्री नत्थु के स्थान पर रेशमी पत्नी पोखरराम जाति नायक निवासी माहेला दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ३०/३/२०२६ को जारी की गई।

an 1

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

रावतसर

